

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 जुलाई, 2005

सं. टीएएमपी/50/2004-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, लौह अयस्क के मानवीय पोतान्तरण के लिए पोत घाट-भाड़ा निर्धारण हेतु पारादीप पत्तन न्यास के प्रस्ताव को, संलग्न आदेश के अनुसार निपटारा है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/50/2004-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(जून 2005 के 15वें दिन पारित)

यह प्रकरण लौह अयस्क के मानवीय पोतान्तरण के लिए पोतघाट-भाड़ा निर्धारण हेतु पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. प्रस्ताव में उठाए गए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- (i) पीपीटी लौह अयस्क का पोतान्तरण लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) की सहायता से करता है। लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण पत्तन द्वारा लौह अयस्क का प्रहस्तन 2001-2002 से मानवीय / परम्परागत विधियों द्वारा प्रहस्तित किया जाता है। यांत्रिक और मानवीय विधियों द्वारा प्रहस्तित लौह-अयस्क की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

वर्ष	यांत्रिक	मानवीय	कुल
2001-2002	34.93	0.53	35.46
2002-2003	39.92	5.33	45.25
2003-2004	41.98	17.35	59.33
कुल	116.83	23.21	140.04

- (ii) लौह अयस्क के मानवीय प्रहस्तन के लिए विशिष्ट पोत घाट-भाड़ा दर के अभाव में, पीपीटी ने आरम्भ में, पीपीटी दरमान की धारा 3.1 (22) के अनुसार न्यूनतम प्रमार के रूप में रु. 50/- प्रति मीट्रिक टन लगाया। संदर्भित धारा निम्नानुसार है:

3.1 (22) अन्य सामान्य कार्गो (बल्क और ब्रेक बल्क)

- (i) आयात के मामले में 0.5% (सीआईएफ मूल्य)
- (ii) निर्यात के मामले में 0.5% (एफओबी मूल्य)
(न्यूनतम रु. 50/- और अधिकतम रु. 400/- प्रति मी.ट. के अधीन)
- (iii) यह दर रु. 34.50 प्रति मी.ट. तक कम की गई और पुनः घटा कर रु. 17.25 प्रति मी.ट. की गई। ये सभी रियायतें वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्त में बेकार हो गईं। इसलिए, पीपीटी ने, अपने दरमान की धारा 3.1 (22) में सशोधन हेतु डीएएमपी में दाखिल (अलग) प्रस्ताव के आधार पर, लौह अयस्क के मानवीय प्रहस्तन हेतु अनन्तिम आधार पर रु. 60/- प्रति मी.ट. 1 अप्रैल 2004 से लगाना आरम्भ कर दिया।
- (iv) चूंकि उपयोगकर्ताओं ने पोतघाट की दर में, पिछले वर्षों में उन्हें प्रदत्त रियायतों के अनुसार रियायतें उपलब्ध करवाने के लिए अम्पावेदन किया था, पीपीटी ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क की घटती मांग पर विचार करते हुए और वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित प्रक्षेपित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए पोतघाट माझे दर 1 अप्रैल 2004 से घटाकर रु. 34.50 प्रति मी.ट. करने का निर्णय लिया और उपयोगकर्ताओं से प्राप्त की गई अधिक राशि लौटा दी।
- (v) चूंकि इस विषय में कोई अतिरिक्त निवेश नहीं किया गया है और कार्गो का प्रहस्तन वर्तमान सुविधाओं का उपयोग करते हुए वर्तमान बर्था में ही प्रहस्तित किया जायेगा, सदर्भित प्रस्ताव के लिए लागत विवरण नहीं प्रस्तुत किये गए हैं। पोतघाट-माझे की प्रस्तावित दर उसी स्तर की है जो आईओएचपी के माध्यम से लौह-अयस्क के प्रहस्तन के लिए लागू है।
- (vi) पीपीटी के न्यासी मंडल ने 30 जुलाई 2004 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2.2. इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने इस प्राधिकरण से मानवीय विधि से लौह अयस्क के प्रहस्तन के लिए, 1 अप्रैल 2004 से, रु. 34.50 प्रति मी.ट. की दर से पोतघाट माझे स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार यह प्रस्ताव पत्तन उपयोगकर्ताओं / पत्तन उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि सगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था।

3.2. उपयोगकर्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति, प्रतिपूरक सूचना के रूप में पीपीटी को भेजी गई थी।

4. चूंकि प्रस्ताव के साथ कोई लागत-निर्धारित ब्योरा संलग्न नहीं था, पीपीटी से यह बताने का अनुरोध किया गया था कि वह किस आधार पर प्रस्तावित दर पर पहुँचा और वह यह भी स्पष्ट करे कि क्या बर्था पर लौह अयस्क के मानवीय प्रहस्तन के लिए प्रदत्त सेवाओं से यात्रिक बर्था पर प्रदत्त सेवाओं से तुलना की जा सकती है तथा वह बर्था पर लौह अयस्क के मानवीय प्रहस्तन हेतु प्रदत्त सेवाओं की सूची भी प्रस्तुत करे। पीपीटी ने निम्नलिखित प्रत्युत्तर दिया है:-

- (i) लौह अयस्क के मानवीय प्रहस्तन के लिए रु. 34.50 प्रति मी.ट. पोतघाट माझे दर पर पहुँचने के लिए पत्तन ने कोई लागत-ब्योरा निर्धारित नहीं किया है। जैसाकि, आईओएचपी के जरिये लौह अयस्क के प्रहस्तन के लिए वैसी ही दर प्रचलित है, पत्तन ने लौह अयस्क के मानवीय प्रहस्तन के लिए वही दर अपनाएने का निर्णय किया है। चूंकि मानवीय विधि से लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा का प्रहस्तन किया जाता है, उसके लिए एक अलग दर निर्धारित करना आवश्यक समझा गया।
- (ii) बाजार में लौह अयस्क का एफ ओ बी मूल्य 50 अम. डालर से 70 अम. डालर के बीच चढ़ता-उतरता है। जब उसकी कीमत इतनी अधिक मिलती है तो पत्तन न्यास ने, लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) के जरिए प्रहस्तित लौह अयस्क पोतान्तरण के लिए वसूल की जा रही दर रु. 34.50 प्रति मी.ट. पोतघाट माझे के रूप में वसूल करने का निर्णय लिया है।
- (iii) वर्तमान दरमान के अनुसार, आईओएचपी के जरिए लौह-अयस्क के पोतान्तरण की (मात्रा के अनुसार) 10 लाख टन तक, 15 लाख टन तक और 15 लाख टन से अधिक पोतान्तरण के लिए उतरती दरें क्रमशः रु. 34.50 प्रति मी.ट., रु. 29.50 प्रति मी.ट. और 24.50 प्रति मी.ट. हैं। तथापि, पत्तन का प्रस्ताव, मानवीय रूप से प्रहस्तित लौह अयस्क के पोतान्तरण के लिए, किसी उतरते दर क्रम के बिना, रु. 34.50 प्रति मी.ट. की दर अपनाएने का है।
- (iv) लौह अयस्क के मानवीय प्रचालन में वैगन टिप्लिंग के जरिए लौह अयस्क की उतराई शामिल है जिसकी लागत टिप्लिंग प्रमार के रूप में रु. 30/- प्रति टन आती है। यदि लौह अयस्क को बीसीएन वैगन्स में (ढके हुए वैगन्स में) स्थलान्तरित किया जाता है तो वैगनों से लौह अयस्क की उतराई मानवीय तौर पर अधिक लागत से की जाती है। ट्रकों द्वारा स्थलान्तरित लौह अयस्क को पोतान्तरण के लिए मानवीय श्रम द्वारा उतरा जाता है। लौह अयस्क को लोडर-वाहनों और डम्बर-वाहनों द्वारा भूखण्ड से पोत तक ले जाया जाता है और तब स्लिंग्स / ग्राब्स की सहायता से पोत पर लादा जाता है। अब ग्रैब्स और स्लिंग्स के लिए अलग दर मौजूद है।

5. इस प्रकरण में, संयुक्त सुनवाई 24 मई 2005 को पीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में पीपीटी और सम्बद्ध उपयोगकर्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड में उपलब्ध हैं। संबंधित पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों तथा उनके द्वारा संयुक्त सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों के सार-संक्षेप सम्बद्ध पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये विवरण हमारे वैबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध हैं।

7. इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के सदम से निम्नलिखित स्थिति उमरती है:-
- (i) लौह अयस्क पर पोटघाट माड़ा लगाने के लिए पीपीटी के दरमान में वर्तमान दर-निर्धारण आयरन और हैण्डलिंग प्लांट (आईओएचपी) के माध्यम से लौह अयस्क के यांत्रिक प्रहस्तन के सदम से है। लौह अयस्क के निर्यात में उछाल की दृष्टि से, पीपीटी ने 2001-2002 से अपना श्रमिक बल लगाकर भी मानवीय श्रम द्वारा लौह-अयस्क का प्रहस्तन आरम्भ कर दिया। पीपीटी अपनी सुविधाओं पर मानवीय श्रम से प्रहस्तित लौह अयस्क के लिए, असूचीबद्ध कार्गो के निर्धारित पोटघाट माड़ा से विसृत दर लगाकर, पोटघाट माड़ा उगाहता रहा था। जैसाकि पत्तन भविष्य में भी कुछ और वर्षों तक मानवीय श्रम द्वारा लौह अयस्क के प्रहस्तन की अपेक्षा करता है और उल्लेखनीय मात्रा की आशा की जा रही है, इन्होंने मानवीय श्रम द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क के लिए एक अलग दर प्रस्तावित की है। जब भी किसी जिन्स या वस्तु को उल्लेखनीय मात्रा के प्रहस्तन किए जाने को उम्मीद होती है, इस प्राधिकरण ने उस वस्तु को असूचीबद्ध श्रेणी से अलग किए जाने की विधि का समर्थन किया है। किन्तु ऐसे मामलों में पोटघाट माड़ा की दर निर्धारित करने का कार्य, आनुषंगिक कार्गो प्रहस्तन करने की लागत के विश्लेषण के बाद किया जाना चाहिए।
- (ii) उपयोगकर्ताओं ने पोटघाट माड़ा की प्रस्तावित दर पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने लौह अयस्क के मानवीय प्रहस्तन के साथ जुड़ी अतिरिक्त लागत का भी उल्लेख किया है। वास्तव में, गीता सेल्स कॉर्पोरेशन ने यांत्रिक विधि की तुलना में मानवीय श्रम विधि द्वारा कार्गो प्रहस्तन के लिए विस्तृत लागत विवरण दिया है। पत्तन ने, अधिक लागत के बारे में उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को स्वीकार किया है। किन्तु तब, जैसाकि पीपीटी ने उल्लेख किया है, यांत्रिक सयंत्र की क्षमता सीमा को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है।
- (iii) पीपीटी का प्रस्ताव लागत पर आधारित नहीं है। इसने लौह अयस्क को यांत्रिक विधि से प्रहस्तन के लिए निर्धारित दर को अपनाने का प्रस्ताव किया है। दो सुविधाओं की दरें तब तक समान नहीं हो सकतीं जब तक, सेवाएँ प्रदान करने की लागत के अलावा, प्रदत्त सेवाएँ और प्रस्तुत सुविधाएँ तुलनात्मक न हों। यद्यपि पीपीटी ने इस संबंध में हमारी शकाओं का बिन्दुवार उत्तर नहीं दिया है, कार्य निष्पादनता और उत्पादकता में अंतर स्पष्ट है। उपयोगकर्ताओं में इस पहलू को ठीक प्रकार से उजागर किया है।
- (iv) यह प्राधिकरण प्रशुल्क निर्धारण के लिए "लागत-अधिक" व्यवस्था का अनुसरण करता है। प्रस्तावित दरों के समर्थन में कोई लागत-ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीपीटी के अनुसार यदि मानवीय-प्रहस्तन गतिविधि के लिए आनुषंगिक लागतों का मांग-बंटवारा किया जाता है तो सेवाएँ प्रदान करने की कुल लागत प्रस्तावित दर से अधिक हो जाएगी। प्रश्नगत: कोई भी लागत विवरण उल्लेख न करवाए जाने के कारण पीपीटी के इतने दावे का सत्यापन नहीं किया जा सकता। द्वितीयतः विभिन्न कार्यकलापों/ गतिविधियों के बीच परस्पर सन्बिन्धी लेने देने के प्रवाह का भी अनुमान लगाना आवश्यक है। जहाँ पत्तन एक ओर यह चाहेगा कि इस मामले में दर निर्धारण इस आधार पर कर दिया जाए कि यातायात क्या वहन कर सकता है, वहीं इस प्राधिकरण के लिए, लागत स्थिति का मूल्यांकन किए बिना केवल उस सिद्धांत का अनुसरण करना संभव नहीं होगा। ऐसी हालत में, प्रस्तावित दर को अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता, यद्यपि यह दरों में कमी करने का मामला लग सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि दर में दिखाई दे रही कमी किसी लागत विश्लेषण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्रासंगिक वस्तु के बहु-उद्देश्यीय 'विविध' श्रेणी के अन्तर्गत जुड़ जाने के कारण जुड़े है।
- (v) इस प्राधिकरण ने, कुछ नए-नए शामिल किए गए कार्गो के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने और कन्टेनर प्रहस्तन हेतु प्रशुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के लिए पीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में 10 सितम्बर 2003 को एक आदेश पारित किया था। पीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ, पीपीटी में लौह अयस्क के मानवीय प्रहस्तन के लिए तत्कालीन प्रशुल्क में कमी करना भी शामिल था। पीपीटी के उस प्रस्ताव के सदम से, इस प्राधिकरण ने देखा कि सरकार के नीति निर्णय के अनुसार, ऐसे उपलब्ध लचीलेपन की नजर में पीपीटी अपने दरमान में निर्धारित उच्चतम स्तर के भीतर प्रशुल्क के स्तर पर स्वयं निर्णय ले सकता है। स्थिति अब भी वैसी ही है। जैसाकि प्रस्तावित दर को उपयुक्त कारणों से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती, पीपीटी विविध श्रेणी के लिए निर्धारित उच्चतम स्तर के भीतर, इस वस्तु के लिए, फिलहाल एक उपयुक्त दर प्रचालित कर सकता है। ऐसा करते समय, पीपीटी के लिए, मानवीय और यांत्रिक कार्य निष्पादनता स्तरों के अन्तर को स्वीकार करना और तदनुसार मानवीय प्रहस्तनों के लिए दर निर्धारित करना तर्क संगत होगा।
- (vi) पोट सबधी और कार्गो संबंधी प्रमारों के विषय में पीपीटी के दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार अप्रैल 2000 में सशोधित किया गया था और पीपीटी को उपस्कर माड़ा प्रमार, पारादीप फॉस्फेट लिमि. (पीपीएल) के आधिपत्य वाली बर्थ के प्रमार, प्रचालन क्षेत्र में परिसम्पत्तियों के लिए किराए समेत परिसम्पत्तियों से संबंधित अन्य प्रस्तावों को भी प्रस्तुत करना था। अपने मैकेनिकल कोल हैंडलिंग प्लांट (एमसीएचपी) के प्रशुल्क के लिए पीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में इस प्राधिकरण ने दिनांक 15 मार्च 2005 के अपने आदेश में पत्तन को अपने दरमान की समीक्षा के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार करने और उसे 30 सितम्बर 2005 तक दाखिल करने हेतु पहले ही सलाह दी है। पीपीटी सामान्य समीक्षा प्रस्ताव में, मानवीय श्रम द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क के लिए लागत-आधारित एक अलग पोटघाट माड़ा निर्धारित करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव शामिल कर सकता है ताकि लागत ब्यौरों की निकटता से छानबीन की जा सके और परस्पर सन्बिन्धी देने के मुद्दों को अधिक उद्देश्यपूर्ण से निपटाया जा सके।

8.

परिणाम स्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से, तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण, प्रशुल्क घटाने के लिए पत्तन न्यायालयों को पहले से ही प्रदत्त लचीलेपन का उपयोग करते हुए अपने ही स्तर पर उपयुक्त निर्णय लेने हेतु पीपीटी को उसका प्रस्ताव लौटाता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005-असा.]